

मध्यप्रदेश विधान सभा



मार्च, 2014 सत्र
दैनिक कार्य सूची
मंगलवार, दिनांक 4 मार्च, 2014 (फाल्गुन 13, 1935)
समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री -

- (क) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 11 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वित्तीय वर्ष 2013-2014 की प्रथम छःमाही के दौरान बजट से संबंधित आय और व्यय की प्रवृत्तियों का छःमाही समीक्षा विवरण, तथा
- (ख) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाएं :-
- (i) क्रमांक-एफ-ए-3-29-2011-1-पांच (01), दिनांक 29 जनवरी, 2014,
- (ii) क्रमांक-एफ-ए-3-35-2013-1-पांच (04), दिनांक 5 फरवरी, 2014,
- (iii) क्रमांक-एफ-ए-3-33-2013-1-पांच (07), दिनांक 13 फरवरी, 2014,
- (iv) क्रमांक-एफ-ए-3-15-2011-1-पांच (44), दिनांक 2 सितम्बर, 2013, एवं
- (v) क्रमांक-एफ-ए-3-28-2013-1-पांच (46), दिनांक 12 सितम्बर, 2013,

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सरताज सिंह, लोक निर्माण मंत्री -

(क) मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि अधिनियम, 2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) की धारा 8 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राजमार्ग निधि का प्रथम वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन 2012-2013, तथा

(ख) कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का नवम् वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन 2012-2013 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री गौरीशंकर बिसेन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वित्तीय वर्ष 2012-2013 पटल पर रखेंगे.

(4) श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 48 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे 2008-2009 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री के.पी. सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना का कार्य घटिया स्तर का होने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री तुकोजीराव पवार, विश्वास सारंग, सदस्य, देवास स्थित उद्योगों एवं राजगढ़ जिले में स्थित विन्ध्याचल डिस्टिलरी द्वारा प्रदूषण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित
समय

4. वर्ष 2013-2014 के तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 21, 24, 26, 29, 32, 39, 41, 44, 45, 47, 48, 52, 56, 58, 61, 63, 64, 72, 73, 74, 76 एवं 77 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर सात सौ बारह करोड़, चवालीस लाख, पैसठ हजार रुपये की अनुपूरक राशि दी जाय.”

2 घंटे

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-5) विधेयक, 2014 (क्रमांक 7 सन् 2014) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

2 घंटे

6. वर्ष 2014-2015 के वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा.

7. वर्ष 2014-2015 के लेखानुदान की मांगों पर मतदान

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

“दिनांक 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष 2014-2015 के एक भाग अर्थात् प्रथम चार माह तक की अवधि के प्राक्कलित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को राज्य की संचित निधि में से कुल चवालीस हजार तीन सौ छप्पन करोड़, चौबीस लाख, छियासी हजार रुपये की धन राशि जो पृथकतः वितरित लेखानुदान की मांगों के स्तंभ 6 में दी गई राशियां विनियोगों की अनुसूची के स्तंभ 2 में निर्दिष्ट सेवाओं से संबंधित मांगों के लिये सम्मिलित हैं, लेखानुदान के रूप में दी जावें.”

10 मि.

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2014 (क्रमांक 8 सन् 2014) का पुरःस्थापन ** करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

9. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, शीतलहर एवं पाले के कारण फसलों की क्षति होने के संबंध में चर्चा (क्रमशः)

भोपाल :
दिनांक : 3 मार्च, 2014

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .

** लेखानुदान की मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .